महत्वपूर्ण/समयबद्ध
द्वारा- ई-मेल/फैक्स

पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8 वॉं तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002
e- mail : tshq@nic.in

पत्र सं0-टीएससी-स-05/2026

दिनांक-जनवरी 30 ,2026

सेवा में,

1. **समस्त पुलिस आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि इस मुख्यालय द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए हेतु निर्गत स्थानान्तरण नीति दिनांक- 01.03.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के स्थानान्तरण विषयक निर्गत निर्देशों के क्रम में **ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण-2026** के अंतर्गत प्रदेश के जनपदों एवं इकाईयों में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का निम्नांकित आधार पर स्थानान्तरण किए जाने हेतु प्रस्ताव इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु **कट ऑफ डेट- 30.04.2026 निर्धारित** की गई है।

A. अनुकम्पा के आधार पर कार्मिकों का स्थानान्तरण-

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के प्रार्थना-पत्र में अंकित समस्याओं **(पति-पत्नी के राजकीय सेवा में होने/विशेष स्थिति में पारस्परिक/गंभीर चिकित्सीय आधार)** का परीक्षण कमिश्नरेट/जनपद स्तर से करते हुए अंकित तथ्य/प्रकरण सत्य पाए जाने पर एवं स्थानान्तरण हेतु उपयुक्तता होने पर ही प्रार्थना-पत्र मय **सुसंगत अभिलेख** एवं सम्पूर्ण सेवा विवरण **संस्तुति सहित** निर्धारित **"प्रारूप-ए"** में इस मुख्यालय को अग्रसारित किये जायें।

- **अनुकम्पा के आधार पर कार्मिकों का स्थानान्तरण विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होगा** एवं इस हेतु स्थानान्तरण **शासकीय/विभागीय आवश्यकताओं/हितों की प्राथमिकता** के आधार पर किए जायेंगे। **यह भी स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी अधिक होने सम्बन्धित तथ्य अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।**
- जनपदीय प्रभारी अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार एवं जोन/रेंज/कमिश्नरेट/जनपद से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्मिक का स्थानान्तरण हुआ हो, तो उसके कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- प्रार्थना-पत्र में पति/पत्नी के राजकीय सेवा में होने का उल्लेख प्रारम्भ से किया जाए। साथ ही यदि पति/पत्नी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हैं, तो उनकी नियुक्ति अवधि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
- **कार्मिकों द्वारा एक जनपद में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करना आवश्यक होगा।**

B. निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण–

ऐसे कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए से कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कार्मिक, जिनके द्वारा वर्तमान नियुक्ति कमिश्नरेट/जनपद में 10 वर्ष की समयावधि पूर्ण की जा चुकी हो। इनकी सूचना **"प्रारूप–बी"** में इस मुख्यालय को अग्रसारित की जाए। साथ ही इस आशय के प्रमाण–पत्र भी प्रेषित किया जाए कि उक्त आधार पर किसी भी कार्मिक का नाम नहीं छूटा है एवं न ही ऐसे कार्मिक का नाम प्रेषित किया गया है जिसकी समयावधि पूर्ण नहीं हुई है। **(प्रमाण–पत्र संलग्न)**

C. प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण–

- प्रशासनिक एवं जनहित के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति दिनांक–01.03.2021 में अंकित तथ्यों के आधार पर कमिश्नरेट/जनपद प्रभारी द्वारा स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या **"प्रारूप सी"** के अनुसार इस मुख्यालय को अग्रसारित की जाये।
- माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रचलित हो, जो ऐसे प्रकरणों की जाँच पूर्ण होने पर दण्ड निर्धारण/प्रदान किए जाने के उपरान्त ही स्थानान्तरण प्रकरण इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाए।
- इसी प्रकार किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय मुकदमा पंजीकृत होने की स्थिति में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने पर चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल होने के उपरान्त ही स्थानान्तरण प्रकरण इस मुख्यालय को संदर्भित किए जाएँ। विभागीय मुकदमे की विवेचनात्मक कार्यवाही के मध्य सम्बन्धित कार्मिक का स्थानान्तरण होने पर साक्ष्य संकलन में कठिनाई हो सकती हैं।
- तत्समय तक सम्बन्धित कार्मिक को कमिश्नरेट/जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा जनपदीय मुख्यालय/इकाई में आवश्यकतानुसार सम्बद्ध किया जा सकता है। विभागीय जाँच/विभागीय मुकदमे की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के प्रशासनिक स्थानान्तरण प्रकरण इस मुख्यालय को संदर्भित किए जाएँ।

D. ऐसे कम्प्यूटर ऑपरेटर्स जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन हैं, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक नवस्थानान्तरित कमिश्नरेट/जनपद हेतु कार्यमुक्त नहीं किए गए हैं, को चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किए जाने सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उनकी सूचना **"प्रारूप डी"** के अनुसार इस मुख्यालय को अग्रसारित की जाए। साथ ही ऐसे कार्मिक का नाम इस सूची के अतिरिक्त अन्य सूची में भी अंकित हो तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का भी स्पष्ट अंकन किया जाए।

E. गृह अथवा सीमावर्ती जनपद में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की सूचना **"प्रारूप ई"** में प्रेषित की जाए।

::: सामान्य निर्देश :::

1– वर्तमान में कम्प्यूटर संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में से अधिकतर कार्मिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जनपदों (सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़ इत्यादि) के रहने वाले हैं एवं उनमें से कई कर्मियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों (कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, सुलतानपुर, गाजीपुर इत्यादि) में है।

2– यदि पश्चिमी जनपदों के रहने वाले सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति नियमानुसार उनके पश्चिमी जनपदों में कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर पूर्वी जनपदों के थानों पर कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की अनुपलब्धता के कारण भारत सरकार द्वारा प्रचलित सी0सी0टी0एन0एस0 व्यवस्था निश्चित ही बाधित हो जाएगी।

3– विगत वर्ष स्थानान्तरण समिति द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी जनपदों में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की समानुपातिक उपलब्धता प्रदेश स्तर पर समान रखने का प्रयास किया गया है, किन्तु वर्तमान में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की अत्यधिक रिक्तियाँ विद्यमान होने के कारण कमिश्नरेट/जनपद को अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

4– कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की विद्यमान रिक्तियों की पूर्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा वर्तमान में प्रचलित **930 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को सीधी भर्ती** के माध्यम से भरे जाने हेतु **शीघ्रातिशीघ्र अंतिम परिणाम** जारी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त **भर्ती बोर्ड** द्वारा **दिनांक–16.12.2025 को कुल 1352 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स** की **सीधी भर्ती सम्बन्धी नवीन विज्ञप्ति निर्गत** की गई है।

5– इन भर्ती प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को अतिरिक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स मिलेंगे, जिनकी समानुपातिक नियुक्तियाँ करने पर वर्तमान में व्याप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की रिक्तियों की पूर्ति हो सकेगी।

6– **कम्प्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27(क) में निहित निर्देशों के क्रम में ही प्रेषित करेंगे। स्वयं द्वारा प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित जनपद/इकाई प्रभारी को प्रस्तुत किए जाने के क्रम में सम्बन्धित जनपद/इकाई प्रभारी के माध्यम से प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जाएगा। पारिवारिक सदस्य अथवा किसी भी अन्य स्तर से सीधे इस मुख्यालय को प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर विचार करने हेतु स्थानान्तरण समिति बाध्य नहीं होगी।**

7– **वर्षभर स्थानान्तरण प्रस्ताव इस मुख्यालय को न भेजे जाएँ। अपरिहार्यता** (गंभीर चिकित्सीय समस्या/अन्य कोई गंभीर कारण) की ही स्थिति में **सम्बन्धित जनपद/शाखा प्रभारी की स्पष्ट संस्तुति** के उपरान्त **स्थानान्तरण प्रस्ताव इस मुख्यालय को प्रेषित** किया जाए। **जनपद/इकाई प्रभारी की ओर से (on behalf of) अन्य किसी अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर से स्थानान्तरण प्रस्ताव इस मुख्यालय को न भेजा जाए।**

8– पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर्स एक साथ अपना आवेदन पत्र मूल हस्ताक्षर सहित सम्बन्धित जनपद प्रभारी को उपलब्ध कराएँगे। जनपद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर स्थानान्तरण समिति द्वारा नियमानुसार विचार किया जाएगा तथा पारस्परिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु उपयुक्त पाए जाने पर सम्बन्धित कर्मियों को कार्यमुक्त किए जाने हेतु एक ही तिथि निर्धारित की जाएगी। एक कर्मी के कार्यमुक्त होने तथा दूसरे कर्मी के कार्यमुक्त न होने की दशा में पारस्परिक स्थानान्तरण निरस्त कर दिया जाएगा।

9– अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में से यदि कोई कार्मिक पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित के आधार पर स्थानान्तरण पर आगमन किया गया है तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या एवं दिनांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

10– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अशासकीय पत्र सं0– 08/2008 दिनांक–29.01.2008 के अनुरूप सभी कार्मिकों का सही पर्सनल नम्बर (जो नॉमिनल रोल सिस्टल/e-hrms दोनों पर प्रदर्शित हो) अंकित किया जाएगा। **पर्सनल नम्बर (PNO) के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।**

11– सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति इस मुख्यालय को प्रेषित की जाए, उनके पी0एन0ओ0 आधारित नॉमिनल रोल डाटाबेस/ई–एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियाँ एवं अन्य विवरण अद्यावधिक कर पूर्ण कर ली जाए। यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवा विवरण नॉमिनल रोल/ई–एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।

12– **स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।** यद्यपि ऐसा करते हुए भी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु स्थानान्तरण स्थापना बोर्ड द्वारा यथासम्भव सहानुभूतिपूर्वक उसके प्रकरण पर विचार किया जाएगा, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा। स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता/अन्यत्र सम्बद्ध का विवरण **"प्रारूप एफ"** के अनुसार प्रेषित की जाए।

13– स्थानान्तरण विषयक समस्त सूचनाएँ **Microsoft Excel Sheet में MANGAL FONT (HINDI)** में ही तैयार कर प्रेषित की जाए, जिसमें यह ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक ही Cell/Row में भरा जाए। कोई भी Cell/Row कदापि Merge न किया जाए।

14– सभी सूचनाएँ **दिनांक- 20/02/26 तक हार्ड कॉपी इस मुख्यालय को एवं सॉफ्ट कॉपी Email-ID- tshq@nic.in पर अवश्य प्रेषित कर दी जाए,** ताकि स्थानान्तरण समिति द्वारा उन पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जा सके।

संलग्नक- यथोपरि।

30/1/26

(नवीन अरोरा)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>प्रतिलिपि</u>- **निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, डॉ0 भीमराव आम्बेडकर, उ0प्र0 पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0एस0 उन्नाव/पी0टी0सी0 सीतापुर/पी0टी0सी0 मुरादाबाद।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, ए0पी0टी0सी0 चुनार, मीरजापुर।
7. पुलिस महानिरीक्षक, "स्थापना", उ0प्र0, लखनऊ।
8. पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र।
10. पुलिस उप महानिरीक्षक, पी0टी0एस0 मेरठ /पी0टी0सी0 मुरादाबाद / पी0टी0सी0 सीतापुर/ पी0टी0एस0 जालौन।
11. पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जाँच, उ0प्र0, लखनऊ।
12. पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13. पुलिस अधीक्षक, ए0पी0टी0सी0 सीतापुर/पी0टी0एस0 मुरादाबाद/पी0टी0एस0 सुलतानपुर/ पी0टी0एस0 गोरखपुर।
14. पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ

8वॉं तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ 226002 :e- mail : tshq@up.nic.in

पत्रसंख्या: टीएससी-02/2021 **दिनांक: मार्च, 01, 2021**

सेवा में,

1-पुलिस आयुक्त,
जनपद लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय: कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'ए' के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विभागीय स्थानान्तरण नीति विषयक।

कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के कार्यकाल के सम्बन्ध में मानक निर्धारण:

1. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रथमतः नियुक्ति विभागीय आवश्यकता के अनुसार जनपद में की जायेगी, जिसकी न्यूनतम अवधि 03 वर्ष होगी। इसके पूर्व स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड- ए का स्थानान्तरण गृह जनपद व सीमावर्ती जनपदों में नहीं किया जायेगा।

3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड- ए की जनपद में नियुक्ति अवधि अधिकतम 10 वर्ष की होगी। एक जनपद में अधिकतम नियुक्ति अवधि पूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित रेंज / जोन में यथासम्भव स्थानान्तरण किया जायेगा।

वार्षिक स्थानान्तरण की नीति:

क- प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार जनपदों / इकाइयों से प्रत्येक वर्ष में एक बार ही ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण किये जायेंगे।

ख- निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के स्थानान्तरण किये जायेंगे।

ग- इस सम्बन्ध में इच्छुक कर्मियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके कार्यवाही की जायेगी जिसमें 03 विकल्प मांगे जायेंगे। नियुक्ति के लिये यथा सम्भव व्यवाहारिकता के दृष्टिगत तद्नुसार स्थानान्तरण किये जायंगे परन्तु यह वाध्यकारी नहीं होगा।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण:

क- ऐसे कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुए जनपद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, इकाई के प्रभारी अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक होगा, इस श्रेणी में स्थानान्तरण, रिपोर्ट के आधार पर वर्ष में कभी भी किये जायेंगे।

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण की नीतिः

अनुकम्पा के आधार पर निम्न परिस्थितियों में स्थानान्तरण किए जाने पर विचार किया जायेगाः-

1- यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उनके स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर।

2- दो कम्प्यूटर आपरेटरों ग्रेड-ए द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर।

3- स्वयं / पति-पत्नी/ बच्चों की गम्भीर बीमारी के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी की सलाह के अनुसार।

4- अन्य विशिष्ट कारणों से विभागाध्यक्ष की अनुमति से।

सम्बन्धित जनपद में नियुक्त प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से स्पष्ट संस्तुति के आधार पर प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर नियतन/उपलब्धता/रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'ए' द्वारा उचित माध्यम के अतिरिक्त प्रेषित आवेदन-पत्रों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों से समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-'ए' को अवगत करा दिया जाय तथा उनके स्थानान्तरण सम्बन्धी आवेदन-पत्र ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण हेतु मांगे जाने पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित इस मुख्यालय को भेजें।

01/03/2021

(संदीप सालुंके)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन/समस्त परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

प्रारूप- "ए"

<u>अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का विवरण</u>

क्र0सं0	कर्मी का नाम	पीएनओ	पदनाम	पिता का नाम	भर्ती की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद का नाम			अनुकम्पा के आधार पर इच्छुक स्थानान्तरण का कारण (चिकित्सीय/पारिवारिक/शिक्षा/पारस्परिक/अन्य) तथा सुसंगत अभिलेख	पति/पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर पति/पत्नी का नाम/पीएनओ/नियुक्ति जनपद/विभाग तथा सुसंगत अभिलेख	दो वर्ष पूर्व प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित हुआ हो तो उसका विवरण	स्पष्ट संस्तुति/असहमति
							जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक			प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व नाम/पदनाम की मुहर

नोट-

1- समस्त सूचनाएँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंगल फॉन्ट (हिन्दी) में ही तैयार की जाए।
2- कोई कॉलम मर्ज न किया जाए।
3- एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में दर्ज की जाए।
4- समस्त तिथियाँ Times New Roman Font में DD/MM/YYYY में ही दर्ज की जाए।
5- कॉलम सं0-16 एवं 17 के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों की स्पष्ट प्रति भी संलग्न किया जाए।

प्रारूप– "बी"

<u>कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए से कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी के पद पर पदोन्नति प्राप्त ऐसे कार्मिक, जिनके द्वारा 10 वर्ष की समयावधि पूर्ण की जा चुकी है, का विवरण</u>

क्र0सं0	कर्मी का नाम	पीएनओ	पदनाम	पिता का नाम	भर्ती की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति जनपद/ इकाई	यदि कर्मी जनपद से किसी मुख्यालय/इकाई में सम्बद्ध है, तो उसका विवरण एवं सम्बद्धता अवधि	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसमें वर्णित विकल्प	यदि कर्मी स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण
							जनपद/ इकाई का नाम	कब से	कब तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व नाम/पदनाम की मुहर

नोट–
1– समस्त सूचनाएँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंगल फॉन्ट (हिन्दी) में ही तैयार की जाए।
2– कोई कॉलम मर्ज न किया जाए।
3– एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में दर्ज की जाए।
4– समस्त तिथियाँ Times New Roman Font में DD/MM/YYYY में ही दर्ज की जाए।

प्रारूप– "सी"

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किए जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का विवरण

क्र0सं0	कर्मी का नाम	पीएनओ	पदनाम	पिता का नाम	भर्ती की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण/संस्तुति अंकित किया जाए	विभागीय कार्यवाही में दोषी/ विभागीय मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो, का विवरण	अभ्युक्ति
							जनपद/ इकाई का नाम	कब से	कब तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व नाम/पदनाम की मुहर

नोट–
1– समस्त सूचनाएँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंगल फॉन्ट (हिन्दी) में ही तैयार की जाए।
2– कोई कॉलम मर्ज न किया जाए।
3– एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में दर्ज की जाए।
4– समस्त तिथियाँ Times New Roman Font में DD/MM/YYYY में ही दर्ज की जाए।

प्रारूप– "डी"

<u>स्थानान्तरणाधीन कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का विवरण, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है</u>

क्र0सं0	कर्मी का नाम	पीएनओ	पदनाम	पिता का नाम	भर्ती की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि किसी मुख्यालय/इकाई में सम्बद्ध हों, तो उसका विवरण एवं सम्बद्धता अवधि	तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय द्वारा पूर्व में किए गए स्थानान्तरण का विवरण			कार्यमुक्त न किए जाने का कारण	अभ्युक्ति
							जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक				आदेश संख्या व दिनांक जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है	कहाँ से	कहाँ को		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व नाम/पदनाम की मुहर

नोट–
1– समस्त सूचनाएँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंगल फॉन्ट (हिन्दी) में ही तैयार की जाए।
2– कोई कॉलम मर्ज न किया जाए।
3– एक कर्मी की सूचना एक ही सेल में दर्ज की जाए।
4– समस्त तिथियाँ Times New Roman Font में DD/MM/YYYY में ही दर्ज की जाए।

प्रारूप– "ई"

गृह जनपद एवं गृह जनपद के समीपवर्ती जनपद में नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स का विवरण

क्र0सं0	कर्मी का नाम	पीएनओ	पदनाम	पिता का नाम	भर्ती की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी स्थानान्तरणाधीन हो तो उसका विवरण	अभ्युक्ति
							जनपद का नाम	कब से	कब तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रारूप- "एफ"

स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता/अन्यत्र सम्बद्ध कार्मिकों का *संख्यात्मक विवरण*

(शहरी थाना-03 कं0ऑ0 ग्रेड-ए एवं ग्रामीण थाना-02 कं0ऑ0 ग्रेड-ए के अनुमोदित शासकीय मानक के आधार पर)

क्र0सं0	पदनाम	जनपद/इकाई का नाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता	मुख्यालय/इकाई में सम्बद्ध (कमिश्नरेट/जनपद को अनुपलब्ध)	अनुकम्पा के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या					10 वर्ष की समयावधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों के प्रेषित नामांकन की संख्या	प्रशासनिक/जनहित के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	स्थानान्तरण पर कार्यमुक्ति हेतु शेष कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
								चिकित्सीय आधार	पारस्परिक आधार	पति/पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर	शिक्षा	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए															
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी															

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व नाम/पदनाम की मुहर